HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 445/2025

Jaswant Singh S/o Madan Singh, Sakin (Resident of) Shanti Pura Vaishali Nagar, Ajmer (Raj.).

----Petitioner

Versus

1. Santosh Kumar Gupta S/o Shri Shriram Gupta, Sakin (Resident of) 442/23 Gupta Floor Mill, Kesar Ganj, Ajmer.
2. Anil Meena S/o Shri Harlal Meena, Resident of Baldev Nagar, Makadwali Road, Ajmer.
3. Smt. Saroj Meena W/o Shri Sawant Singh Meena, Ldc, Anatomy, Medical Collage, Ajmer.
4. Shri Sawant Singh Meena Dy. Manager Indian Oil Corporation Ltd., Presently Residing At Baldev Nagar, Makadwali Road, Ajmer.
5. Urban Improvement Trust, Through Secretary Urban Improvement Trust, Ajmer.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Shailesh Prakash Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	-

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

28/02/2025

1. याची द्वारा यह याचिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट **संख्या–** 3, अजमेर के निर्णय दिनांक 14.03.2024, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेज को अप्रदर्शित किए जाने एवं दिनांक 24.07.2024 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य बंद कर दी गई, के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची का तर्क रहा है कि उन्होंने दिनांक 24.07.2024 के आदेश के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

दिया है। अतः आदेश दिनांक 24.07.2024 की सीमा तक यह याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान अधिवक्ता याची का यह भी तर्क रहा है कि याची/वादी द्वारा एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वादी की ओर से एक इकरारनामा दिनांक 02.03.2001 वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। उक्त इकरारनामे को न्यायालय के आदेश द्वारा दिनांक 18.10.2019 द्वारा स्टाम्प कमीपूर्ति कराये जाने हेतु उप–महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, वृत्त अजमेर को प्रेषित किया गया, जहां वादी द्वारा स्टाम्प कमीपूर्ति कर 24,630/– रूपये न्यायालय शुल्क जमा करा दिया, किन्तु उप–महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, वृत्त अजमेर के कार्यालय से उक्त दस्तावेज गुम हो गया तथा काफी प्रयासों के उपरान्त भी नहीं मिला। इसके उपरान्त वादी की प्रार्थना पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को उक्त इकरारनामे की फोटोप्रति को दिनांक 23.02.2023 के आदेश से द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाये जाने की अनुमति प्रदान कर दी तथा उक्त इकरारनामे को नियमानुसार न्यायालय के आदेश से प्रदर्शित करा दिया, किन्तु न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.03.2024 द्वारा उक्त प्रदर्शित करवाये गये आदेश को स्वप्रेरणा से रिव्यू करते हुए प्रदर्शित इकरारनामा दिनांक 02.03.2001 को अप्रदर्शित करवाये जाने का आदेश कर दिया। उक्त आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध है।

4. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से न्यायालय का ध्यान न्यायिक दृष्टान्त **2022 LiveLaw (SC) 970, Sirikonda Madhava Rao Vs. N. Hemalatha & Ors.** की ओर आकर्षित किया गया।

5. सुना गया।

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त **Sirikonda Madhava Rao (Supra)** में यह अवधारित किया गया है कि,

> "In view of the aforesaid position, we do not think that the impugned judgment passed by the High Court directing that the aforesaid document should be de-marked and not be treated as an exhibit, is correct

> and in accordance with law. Once a document has been admitted in evidence, such admission cannot be called in question at any stage of the suit or proceedings on the ground that the instrument has not been duly stamped. Objection as to admissibility of a document on the ground of sufficiency of stamp, has to raised when the document is tendered in evidence. Thereafter, it is not open to the parties, or even the court to reexamine the order or issue. To this extent, the impugned judgment is set aside and the appeal is allowed."

7. उक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में आदेश दिया जाता है कि अयाची संख्या 1 लगायत 4 को नोटिस साधारण एवं पंजीकृत डाक दोनों माध्यमों से लौटती डाक से चार सप्ताह हेतु जारी किए जावे। योग्य अधिवक्ता अयाचीगण इस संबंध में पी0एफ0 नोटिस एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

8. पत्रावली चार सप्ताह पश्चात सूचीबद्ध हो।

9. तब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2024 अप्रभावी रहेगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

BADAL/29